"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई 2011—आषाढ़ 22, शक 1933

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-124/2010/गृह-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन" का गठन करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 3-124/2010/गृह-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 13th July 2011

NOTIFICATION

No. F 3-124/2010/Home-II.—The State Government hereby constitutes the "Chhattisgarh Police Housing Corporation" under Companies Act, 1956.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.